

225/142

फर्द अहकाम

जयराम वगै० बनाम कल्याण सहाय वगै०
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 102/2025 प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए 1955

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.09.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/10/25 को पेश हों ।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	
29/10	<p>वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से... जयपुर 4.8.15 है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> प्रस्तुतकार</p>	
17/11/25	<p>उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सम न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/11/25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (राज.)</p>	
21/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष उपस्थित। इन्हें प्रकरण में वकील पक्ष द्वारा दल का ड पत्र दिनांक 17/11/25 को पेश किया गया था। पत्रावली पत्र का कोई कोपिल नही रखा है। अतः पत्रावली पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जा रहा है। पत्रावली पेश करने के लिए दल को सूचित किया जा रहा है।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	